Regd. No. J-187

॥ श्री ॥

Licence No. ...
Licensed to post without prepayment.

मध्यभ ... ासन गजट

प्रकाशित

जिल्द ९ | ग्वालियर, गुरुवार, दिनांक २५ अक्टूबर सन् १९५६ ई० | अंक ३०

सूचना

दिनांक १९ अक्टूबर से २५ अक्टूबर १९५६ तक निम्नलिखित मध्यभारत शासन गजट, विशेषांक, प्रकाशित हुए:—

अंक संख्या.	दिनांक.	विभाग.	विषय.
४२	२२-१०-५६	न्याय विभाग	मध्यभारत वन (द्वितीय संशोधन) विधान, १९५६.
"	"	"	मध्यभारत विधान-सभा निरर्हता रोधक (द्वितीय संशोधन) विधान, १९५६.
"	"	"	भेलसा रामलीला मेला विधान, १९५६.
"	"	"	मध्यभारत माफी तथा इनाम कृषक एवं उप-कृषक संरक्षण (प्रथम संशोधन) विधान, १९५६

उल्लिखित विशेषांक की प्रतियां, माँग होने पर, सुपरिण्टेण्डेण्ट, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण विभाग, ग्वालियर द्वारा प्रदाय की जायेंगी.

विषय-सूची

भाग १, खण्ड अ.—

राष्ट्रपति के कार्यालय तथा राजप्रमुख के कार्यालय से जारी की गई आज्ञाएँ, विज्ञप्तियां आदि. ..

नियुक्ति, पद-नियति, अन्तरण, शक्ति तथा अन्य वैयक्तिक सूचना-पत्र. १२१—१२७

भाग १, खण्ड ब.—

मध्यभारत शासन, हाईकोर्ट, लोकसेवा आयोग और विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किये गये नियम, प्रबन्ध-नियम, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियां आदि. ..

केन्द्रीय शासन तथा अन्य राज्य शासनों द्वारा जारी किये गये नियम, प्रबन्ध-नियम, आज्ञाएँ, विज्ञप्तिया आदि, जिनमें ऐसे कागद सम्मिलित हैं जो भारत शासन गजट तथा अन्य राज्यों के गजटों में से उद्धृत किये जावें, तथा भारत के निर्वाचन आयोग की प्राविधानिक विज्ञप्तियां तथा निर्वाचन-सम्बन्धी अन्य विज्ञप्तियां. ७५७—८५३

भाग २.—

केन्द्रीय विधान मण्डल तथा मध्यभारत विधान मण्डल में प्रस्तुत या प्रस्तुति से पूर्व प्रकाशित विधेयक, प्रवर-समितियों की रिपोर्ट. ..

केन्द्रीय विधान मण्डल तथा मध्यभारत विधान मण्डल के विधान. ..

भाग ३.—

मध्यभारत विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर से प्रकाशित आज्ञाएँ, प्रसिद्धि-पत्र तथा विज्ञप्तियां. ..

भाग ४.—

कम्प्ट्रोलर, मध्यभारत, द्वारा जारी की गई आज्ञाएँ, प्रसिद्धि-पत्र तथा विज्ञप्तियां आदि. ..

भाग ५.—

शासकीय कागद, दबाई हुई रूई की गांठों का वृत्तान्त, महत्त्वपूर्ण स्थिति-अंक, रोग-ग्रस्ति तथा मृत्यु, उपज तथा ऋतु-सम्बन्धी रिपोर्ट, चालू मूल्य, सूचना-पत्र, विज्ञापन आदि. १११७—११४७

नियुक्ति विभाग

विज्ञप्ति

क्र. ६०७६।२-ए., ग्वालियर, दिनांक १७ अक्टूबर १९५६.

श्री वी. पी. भटनागर, उप-खंडीय पदाधिकारी तथा उप-खंडीय न्यायाधीश, जावरा को ३० दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक ३ सितम्बर १९५६ से दिनांक २ अक्टूबर १९५६ तक स्वीकृत किया जाता है.

No. 6103/II-A., Gwalior, dated 18th October 1956

The Rajpramukh is pleased to confirm Shri D. A. Lonkar, as Under Secretary (Jr. Scale) with effect from October 3, 1956, *vice* Shri S. L. Pande, retired.

क्र. ६१०३।२-ए., ग्वालियर, दिनांक १८ अक्टूबर १९५६.

श्रीमन्त राजप्रमुख के आदेशानुसार श्री डी. ए. लोणकर को अवर सचिव (कनिष्ठ श्रेणी) में श्री एस. एल. पांडेय के स्थान पर, जो सेवा-निवृत हो चुके हैं, दिनांक ३ अक्टूबर १९५६ से स्थायी किया जाता है.

क्र. ६१५३।२-ए. ग्वालियर, दिनांक १९ अक्टूबर १९५६

इस विभाग की विज्ञप्ति क्र. १७४५।२-ए., दिनांक २६ अप्रेल १९५५ को निरस्त करते हुए श्री जी. एस. चांदोरकर, जिलाधीश, मुरैना को दिनांक २७ अप्रेल १९५५ से १२० दिवस का अर्जित एवं इसी क्रम में ५०० दिवस का अर्द्ध-वैतनिक, सेवा-निवृत्ति के पूर्व का अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

२. प्रकरण अत्यावश्यक होने के कारण विधान की धारा १७ की उप-धारा (१) के अधीन श्रीमन्त राजप्रमुख यह निर्देश और हैं कि जिला मुरैना के कलेक्टर को, यद्यपि धारा ११ के अधीन कोई पंच-निर्णय न दिया गया हो, धारा ९ की उप-धारा (१) में उल्लि पत्र की समाप्ति पर, यह अधिकार होगा कि वह सार्वजनिक आशय के लिए परिशिष्ट में उल्लिखित भूमि के पड़त या कृषि-योग्य भूमि किसी पड़त या कृषि-योग्य भूमि को, जो कि उस भूमि का भाग हो, आधिपत्य में ले.

परिशिष्ट

जिला.	परगना.	मौजा.	सर्वे नंबर.	रकबा बिस्वा.	किस आशय के लिए अपेक्षित.	टिप्पणी.
मुरैना	श्योपुर	श्योपुर	१५४९	।।।४	पशुचिकित्सालय भवन निर्माणार्थ	गोपीलाल पुत्र जगन्नाथ, साकिन देह. पक्का कु
			१५५३	।।।४	,,	,,
			१५३६।२	५२	,,	मि. सरकार रघा बारी रास्ता.

भूमि के मानचित्र का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकेगा है.

No. 4278/X(V)/136/51, Gwalior, dated the 21st October 1956

In continuation of this Department Notification No. 1476/X-V/Ind./136, dated 11th May, 1955 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the United State of Gwalior, Indore and Malwa (Madhya Bharat) Fisheries Act, Samvat 2006 (Act No. 21 of 1950), the Rajpramukh has been pleased to make the rules which are being published as supplement to this *Gazette*, the same having been previously published in draft form.

इस विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक १४७६।१०-५ई। इण्ड। १३६, दिनांक ११ मई, १९५५ के अनुक्रम में यह विज्ञप्त किया जाता है कि मध्यभारत शासन ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा संयुक्त राज्य (मध्यभारत) मत्स्योद्योग विधान, संवत् २००६ (विधान क्र. २१, सन् १९५०) की धारा ३, उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्रीमन्त राजप्रमुख ने नियम, जिनका आलेख पूर्व किया गया था, स्वीकार किये हैं, जो इस शासन गजट के पूर प्रकाशित किये जा रहे हैं.

आज्ञा से

ल. ओ. जोशी,

वन तथा जन जाति-कल्याण विभाग

विज्ञप्ति

क्र. ४४३८।१८ टी. डब्ल्यू.।४३८।५६, ग्वालियर, दिनांक १४ १९५६

शासन द्वारा मुंगावली बस्ती (Settlement) का हरिजन आदिवासी विभाग के संचालक के निर्देशन तथा रखा जाकर उन्हें इस बस्ती के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किया

क्र. ४५८३।१०-एफ।५९२।५५, इन्दौर, दिनांक १६ अक्टूबर १९५६

मध्यभारत वन विधान, संवत् २००७, क्र. ७३, सन् १९५० की धारा ४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और शासन के जन-जाति कल्याण विभाग की विज्ञप्ति क्र. ११०१।१०-एफ।२०३-५४, दिनांक १ मार्च १९५५ को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए म शासन इस विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित करता है कि निम्न परिशिष्ट में निर्दिष्ट भूमि को सुरक्षित वन बनाने का निर्णय किया गया है और सब-डिवीजन के डिप्टी कलेक्टर को ऐसे पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है जो उक्त धारा में उल्लिखित कार्यों को करेगा तथा घोषित करता है कि ऊपर उल्लिखित पूर्व विज्ञप्ति के अधीन प्रारम्भ की गई जांच और आज्ञाएँ होने तक स्थगित अवस्था में रहेगी.

आज्ञा से,

एस. पी. मित्र,

परिशिष्ट

क्र.	भूतपूर्व जागीर तथा जमींदारी वन का नाम.	प्रस्तावित फॉरेस्ट ब्लॉक का नाम.	सिव्हिल डिस्ट्रिक्ट.	तहसील.	फॉरेस्ट डिव्हीजन.	फॉरेस्ट रेन्ज.	प्रस्तावित रकबे का अन्दाजिया क्षेत्रफल एकड़ों में.	प्रस्तावित रकबे की चतुः सीमा.	वि
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	पाडोन भूतपूर्व जागीर वन.	राहरोन.	गुना	गुना	गुना	बमोरी	३५९०४.००	मिनारा नंबर १ से २० तक कट लाईन, सरहद्दी ग्राम राजपुरा. मि. नं. २० से ४७ तक मध्यभारत, राजस्थान सीमा. मि. नं. ४७ से १४४ तक कट लाईन सरहद्दी ग्राम राधापुरा, कपासी, अनारद, सिलेटा, व पाडोन, मि. नं. १४४ से १४५ तक वरनी नदी. मि. नं. १४५ से २०८ तक कट लाईन, सरहद्दी ग्राम बरधा, सिलावटी, मानकपुरा, व वनयानी. मि. नं. २०८ से २०९ तक मोजरी नदी. मि. नं. २०९ से २३० तक डिमारकेशन लाईन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक कलोरा. मि. नं. २३० से ३३१ तक बरनी नदी. मि. नं. २३१ से २७३	मौके पर कैशन चौड़ी कर तथा जगह के मीना वाकर है.

[भूत]पूर्व जागीर तथा [ज़मीं]दारी वन का नाम.	प्रस्तावित फॉरेस्ट ब्लॉक का नाम.	सिव्हिल डिस्ट्रिक्ट.	तहसील.	फॉरेस्ट डिव्हीजन.	फॉरेस्ट रेन्ज.	प्रस्तावित रकबे का अन्दाजिया क्षेत्र-फल, एकड़ों में.	प्रस्तावित रकबे की चतुः सीमा.	विवरण.
२	३	४	५	६	७	८	९	१०
							तक डिमारकेशन लाइन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, राहरोन. मि. नं. २७३ से २७४ तक बिलास नदी. मि. नं. २७४ से १ तक राजस्थान-मध्यभारत सीमा.	
...या, भूतपूर्व जा...र वन.	कलोरा..	गुना ..	गुना ..	गुना ..	बमोरी	६८१६.४०	मि. नं. १ से ६५ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम मछरिया, ग्वारखेड़ा व करमेड़ी. मि. नं. ६५ से ६६ तक मोजरी नदी व नाला. मि. नं. ६६ से ८२ तक डिमारकेशन लाइन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, कलोरा. मि. नं. ८२ से १०९ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम कोलोनी-काचक व पनेठी. मि. नं. १०९ से ११६ तक डिमारकेशन लाइन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, पनेठी. मि. नं. ११६ से १२३ तक व १२३ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम लोडेरा व मछरिंया.	मौके पर डिमारकेशन १५ फीट चौड़ी लाईन काट कर तथा जगह-जगह पर पत्थर के मीनारे बनवाकर किया गया है.
...रोड़ा, भूतपूर्व ...गीर वन.	पनेठी..	"	"	"	"	४३९९.००	मि. नं. १ से ३७ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम मगरोड़ा व गुड़ा. मि. नं. ३७ से ६७ तक डिमारकेशन लाइन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, पनेठी. मि. नं. ६७ से १ तक सूकेट नदी.	"
...पुर, भूतपूर्व जागीर ...वन.	"	"	"	"	"	८८८.००	मि. नं. १ से ३५ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम गुडा व कुशेपुर. मि. नं. ३५ से ४१ तक व ४१ से १ तक डिमारकेशन लाइन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, पनेठी.	"
...पूर्व जागीरी वन, ...मोड़का.	साबरा पहाड़.	"	"	"	गुना ..	६८०.८०	मि. नं. १ से ४१ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम मोडका. मि. नं. ४१ से १ तक रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, साबरा पहाड़.	..
...गढ़, भूतपूर्व ...जागीरी वन.	बजरंग-गढ़.	"	"	"	"	७५३.६०	मि. नं. १ से १६ तक डिमारकेशन लाइन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, बजरंग गढ़. मि. नं. १६ से ४७ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम ढाब व हरीगढ़. मि. नं. ४७ से ४८ तक चोपना नदी. मि. नं. ४८ से ४९ तक व ४९ से १ तक कट लाइन.	मौके पर डिमारकेशन १५ फीट चौड़ी लाइन काट कर तथा जगह-जगह पर पत्थर के मीनारे बनवाकर किया गया है.
...निया, भूतपूर्व ...मींदारी वन.	साबरा-पहाड़.	"	"	"	"	५०१.६०	मि. नं. १ से १३ तक डिमारकेशन लाइन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, साबरा पहाड़. मि. नं. १३ से २० तक व २० से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम मुरेनिया.	"
...हुवन, भूतपूर्व जागीरी वन.	गनेशपुरा	"	अशोकनगर.	"	चन्देरी ..	१२८७.००	मि. नं. १ से ५ तक डिमारकेशन लाइन, रिझर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, गनेशपुरा. मि. नं. ५ से ६८ तक व ६८ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम गनेशखेड़ा, महुवन, छापरा व कौल.	"

क्र.	भूतपूर्व जागीर तथा जमींदारी वन का नाम.	प्रस्तावित फॉरेस्ट ब्लॉक का नाम.	सिव्हिल डिस्ट्रिक्ट.	तहसील.	फॉरेस्ट डिव्हीजन.	फॉरेस्ट रेन्ज.	प्रस्तावित रकबे का अन्दाजिया क्षेत्रफल, एकड़ों में.	प्रस्तावित रकबे की चतुःसीमा.	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
९.	बखतर, भूतपूर्व जागीरी वन.	गनेशपुरा.	गुना.	अशोकनगर	गुना	चंदेरी.	२९३१.२०	मि. नं. १ से ११ तक डिमारकेशन लाइन, रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, लखारी, रेंज पिछोर, मि. नं. ११ से ३६ तक डिमारकेशन लाइन, रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक, गनेशपुरा. मि. नं. ३६ से ८३ तक व ८३ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम चाटोली, जामनिया, बखतर व अगरई.	मौके प[illegible] केशन[illegible] चौड़ी[illegible] काटक[illegible] जगह[illegible] के मी[illegible] वाकर[illegible] गया है[illegible]
१०.	भूतपूर्व जागीरी वन, मुन्डहरी.	,,	,,	मुंगावली.	,,	,,	१३७८.८०	मि. नं. १ से ७० तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम धनवारा, मुनेटी, अंगोरा व मुंडेरी. मि. नं. ७० से ८१ व ८१ से १ तक डिमारकेशन लाइन, रिज़र्व फॉरेस्ट ब्लॉक, गनेशपुरा.	
११.	मकसुदन गढ़, भूतपूर्व जागीरी वन.	देवापुरा.	,,	राघोगढ़	,,	मकसुदन गढ़.	५६०.३६	मि. नं. १ से २ तक पारवती नदी. मि. नं. २ से ४२ व ४२ से १ तक कट लाइन सरहद्दी ग्राम खेरखेड़ी, देवापुरा, हरीपुरा व अगरपुरा.	
१२.	,,	टान्डा	,,	,,	,,	,,	९२९.२०	मि. नं. १ से ८४ तक व ८४ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम पीपलखेड़ा, खेजड़ा, करोंदी, बिसनखेड़ा, दुरगपुरा, बरखेड़ी, शाहापुरा व नसीलपुर.	
१३.	,,	दुरगपुरा	,,	,,	,,	,,	१६८२.००	मि. नं. १ से ४६ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम हुड़ा, कांकरिया, तेजाखेड़ी, बरखेड़ी व दुरगपुरा. मि. नं. ४६ से ५२ तक व ५२ से १ तक मध्यभारत-भोपाल स्टेट सीमा.	
१४.	साहनी, भूतपूर्व जमींदारी वन.	साहनी.	गुना	चाचोड़ा.	,,	बीनागंज.	८१७.००	मि. नं. १ से ७३ तक व ७३ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम साहनी, भूमलाखेड़ा, बकानीया, जामुनीया, झिरी, सोलियाब, पानदापुरा, भोगीपुरा, हरदकपुरा, तलावरा व साहनी.	
१५.	खेरगढ़, भूतपूर्व जमींदारी वन.	खेरगढ़.	,,	,,	,,	,,	९२७५.००	मि. नं. १ से ३८ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम पिपलया, मिरियाखेड़ी, लखौनी व नारायणपुरा. मि. नं. ३८ से ४६ तक भूतपूर्व राजगढ़ स्टेट सरहद्दी मिनारे. मि. नं. ४६ से ६९ व ६९ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम कड़ीया, कनकभेरू व पीपलीया.	
१६.	तलावरा, भूतपूर्व जमींदारी वन.	तलावरा.	,,	,,	,,	,,	६९८.८७	मि. नं. १ से ७२ व ७२ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम तलावरा, पीपल्या, रामाकापुरा, नाथुकापुर, बड़नगर, पीलागकापुरा व तलावरा.	मौके पर [illegible] केशन १५[illegible] चौड़ी लाइन [illegible] कर तथा [illegible] जगह पर [illegible] मीनारे [illegible] कर किया [illegible] है.

क्र.	भूतपूर्व जागीर तथा जमींदारी वन का नाम.	प्रस्तावित फॉरेस्ट ब्लॉक का नाम.	डिस्ट्रीक्ट.	तहसील.	फॉरेस्ट डिव्हीजन.	फॉरेस्ट रेंज.	प्रस्तावित रकबे का अंदाजिया क्षेत्रफल, एकड़ों में.	प्रस्तावित रकबे की चतुःसीमा.	विवरण.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७.	कोटरा भूतपूर्व जमींदारी वन.	कोटरा..	गुना..	चांचोड़ा..	गुना..	बीनागंज..	६६१.२०	मि. नं. १ से ४१ व ४१ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम कोटरा, परेवा, पीपल्या, कोटरा, चक व कोटरा.	मौके पर डिमारकेशन १५ फीट चौडी लाइन काटकर तथा जगह-जगह पत्थर के मीनारे बनवाकर किया गया है.
[illegible]	बाकाहेड़ा भूतपूर्व जमींदारी वन.	झिकनी..	"	"	"	"	४१३.६०	मि. नं. १ से १५ तक मध्य-भारत-राजस्थान सीमा. मि. नं. १५ से ३८ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम बांकाखेड़ा. मि. नं. ३८ से ५५ व ५५ से १ तक डिमारकेशन लाईन, रिज़र्व फॉरेस्ट ब्लॉक, झिकनी.	"
९.	बांसाहेड़ा भूतपूर्व जागीरी वन.	खेड़ी..	"	"	"	"	४००.००	मि. नं. १ से १४ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम जामुनियां. मि. नं. १४ से २६ तक राजस्थान-मध्यभारत सीमा. मि. नं. २६ से ३२ व ३२ से १ तक डिमारकेशन लाइन, रिज़र्व फॉरेस्ट ब्लॉक, खेड़ी.	"
१०.	पालरा भूतपूर्व जमींदारी वन.	पालरा..	शाजापुर.	आगर..	गुना..	आगर..	१५३४.००	मि. नं. १ से ४८ व ४८ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम पालरा, बोरखेड़ा, मोटा देहरीय, नयाखेड़ा व पालरा.	"
[illegible]	उधर भूतपूर्व जागीर वन.	उधर..	भेलसा..	ग्यारसपुर.	गुना..	ग्यारसपुर.	५३८.००	मि. नं. १ से ४२ तक व ४२ से १ तक कट लाइन, सरहद्दी ग्राम उधर व ग्यारसपुर.	"
						योग ..	६४७४९.५६		

क्र. ४८१८।१०।वन।५३९।५३, ग्वालियर, दि. १६ अक्टूबर १९५६ — वन तथा जनजाति-कल्याण विभाग की विज्ञप्ति क्र. २३९२।१० ...टी।५३९।५३, दिनांक ६ दिसम्बर १९५४ द्वारा वन निस्तार ...टियों की सिफारिश पर प्रसारित की गई आज्ञा में श्रीमन्त राजप्रमुख ...निम्न संशोधन करने के आदेश प्रदान किये हैं:—

(१) विज्ञप्ति की कलम (२) ३ में शब्द "पशुओं के लिए घास ...बोझ से चार गाड़ी तक" के स्थान पर शब्द "पशुओं के लिये घास ...बोझ से अथवा गाड़ियों से . . . चार गाड़ी तक" कायम किये जावें.

इसी कलम (२) के अन्त में निम्न नोट नया बढ़ाया जावे:—

"नोट.—भूतपूर्व झाबुआ राज्य-क्षेत्र में कृषकों से फी हल आठ आने शुल्क नहीं लिया जावे क्योंकि उनकी भूमि के तौजी के आकार में यह रकम सम्मिलित है."

(२) विज्ञप्ति की कलम (३) का अन्तिम पद कम किया जावे ...र उसके स्थान पर निम्न नया पद कायम किया जावे:—

"वरु से इन ग्रामों के कृषकों को प्रति दस एकड़ असिंचित भूमि ...उसके जुज के लिए १ बैल जोड़ी और एक भैंस माफ रहेगी. इसी तरह ...एकड़ सिंचित भूमि या उसके जुज के लिए ३ बैल जोड़ी और एक भैंस ...रहेगी; किन्तु माफी की अधिकतम मर्यादा ४ भैंस और ४ बैल जोड़ी ...गी. यह रियायतें केवल वर्तमान हकदारी व कम्यूटेड (हलोट) ग्रामों ...लागू होंगी."

(३) विज्ञप्ति की वर्तमान कलम ५ कम की जावे और उसके ...पर निम्न कलम ५ नई स्थापित की जावे:—

"५. समस्त मध्यभारत में सामान्य तथा राहदारी चराई के संलग्न तालिका 'अ' और 'ब' के अनुसार होंगे. आदिवासी क्षेत्र में मौजूदा चराई के दर जो विकास एवं श्रम विभाग की विज्ञप्ति क्र. ३२०७।१०।एफ. व्ही. एफ.।३०७।५१, दिनांक २४ सितम्बर १९५२ में प्रकाशित हुए हैं, वे दिनांक ६ दिसम्बर १९५४ से पांच वर्ष तक प्रभावशील रहेंगे. भूतपूर्व झाबुआ राज्य-क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था चालू बन्दोबस्त की अवधि तक प्रभावशील रहेगी."

(४) वार्षिक चराई दर तालिका "अ" के अन्त में नोट के अन्तर्गत निम्न नोट ३ नया स्थापित किया जावे:—

"३. यदि बरसात के दिनों में गांव के लोग चराई के लिए सुरक्षित या रक्षित वनों में जाकर पड़ावा करेंगे तो उनसे गवाड़ी टप्पर का निर्ख प्रति टप्पर २० फुट तक लम्बाई के लिए २ रुपये चराई की दर के अतिरिक्त लिया जावेगा. इसके बदले में उनको निम्नलिखित पैदावार इस्तैमाल करने को दी जावेगी:—

१. कुदरती ऊख सूख जलाऊ लकड़ी (सागवान, तीनच, सादड़ को छोड़कर) आवश्यकतानुसार पड़ाव पर जलाने के लिए.

२. सिराली, बेर, धोंट, छोला की हरी लकड़ी व घास, टप्पर के खंभे व छत बनाने के लिए.

३. पशुओं को कोंडने के लिए कांटे, छोला पत्ती व कटघरे के लिए उपरोक्त कलम २ में बतलाये हुए वृक्षों की लकड़ियों से एक कटघरा बना सकेंगे.

उपरोक्त वन-उपज को वन से वापस जाते समय साथ निकास नहीं करने दिया जावेगा."